pccfrj@rediffmai l.com

अति–आवश्यक/बजट अनुमान

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

कमांकः प.24(01)2013/तक./प्रमुवसं/ 1970–93 दिनांक 25.09.2013

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.), राजस्थान, जयपुर।
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज., जयपुर।
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता योजना, राज., जयपुर।
परियोजना निदेशक, राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना–II, राज., जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर।
मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
मुख्य वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान/वन वर्धन/विभागीय कार्य/
बनास नदी परियोजना, जयपुर/परियोजनाऐं, भू–संरक्षण, वन विभाग, कोटा।
वन संरक्षक एवं क्षैत्र निदेशक, बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर/सरिस्का मु0 अलवर।
उप वन संरक्षक एवं प्राविधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज., जयपुर।

विषयः–**बजट अनुमान वर्ष 2014–15 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए संशोधित अनुमान (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में) वाहन एवं टेलीफोन संबंधी विवरण अद्यतन करने के संबंध में।**

प्रसंगः–इस कार्यालय का पत्रांक सम 1897–1921 दिनांक 13.09.2013.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के प्रांसगिक पत्र का अवलोकन करें। **प्रपत्र–2– विभाग के लिए स्वीकृत टेलीफोन तथा मोबाइल का विवरण तथा प्रपत्र–4–(अ) विभाग में उपलब्ध वाहनों एवं प्रपत्र–4–(ब) विभाग द्वारा किराए पर लिए गए वाहनों की सूची** वित्त विभाग में दिनांक 30.09.2013 तक ऑनलाइन (IFMS) **किया जाना अत्यावश्यक हो गया है। दिनांक 30.09.2013 के पश्चात (IFMS)** में ऑनलाईन नहीं हो पाने के कारण उक्त मदों में भुगतान किया जानां संभव नहीं हो पायेगा।

अतः कृपया प्रपत्र–2–विभाग के लिए स्वीकृत टेलीफोन तथा मोबाइल का विवरण **(प्रपत्र की पूर्ति Excel प्रोग्राम में अंग्रेजी के Arial में 11 के फोन्ट में करें) तथा प्रपत्र–4–(अ) विभाग में** उपलब्ध वाहनों **(प्रपत्र की पूर्ति Excel प्रोग्राम में अंग्रेजी के Arial में 11 के फोन्ट में करें)** एवं **प्रपत्र–4–(ब) विभाग द्वारा किराए पर लिए गए वाहनों की सूची (प्रपत्र की पूर्ति Excel प्रोग्राम में अंग्रेजी के Arial में 11 के फोन्ट में करें)** दो दिवस में **pccfrj@rediffmail.com** पर भिजवाना सुनिश्चित करावें ताकि विभाग की संकलित सूचना अनुसार वित्त विभाग में (IFMS) में ऑनलाईन दर्ज करवाई जा सके। वॉछित सूचना दो दिवस में निर्धारित प्रपत्र में वांछित प्रोग्राम/फोन्ट में प्राप्त नहीं होने पर यदि (IFMS) में दर्ज नहीं हो पाती है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त सूचना स्वीकार्य नहीं होगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिलवावें।

भ व दी य,

(वीरेन्द्र सिंह),
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
राजस्थान, जयपुर

D:\R.K.Jindal\Doc1.doc